

रहमत अली कागम पल्लेख्य दि. 2. 6/14

दिनांक

आज्ञा पत्र

22/4/25

पत्रावली प्राप्त वकील अपीलांत  
 पीठाधीश्वर महोदय अ.  
 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार  
 को पेश हो।

15-5-25

अपीलांत वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर  
 पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर  
 जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः  
 अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील  
 अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे  
 अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।  
 फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की  
 जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण  
 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब  
 लक्ष्मील दाखिल दफतर हो।

Not  
 [Signature]

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर

